तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज मुकदमा नम्बर – 29 / 2016 उनवान **महावीर बनाम हरफुल वगैरह** **आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी
18.01.2019 उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि कस्बा झुंझुनू की सरहद मे जमीन खसरा न. 2659 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा न. 2660 रकबा 2.52 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.53 हैक्टर जमीन के आवेदकगण व अनावेदकगण न. 1 लगायत 8 व 13 लगायत 17 राजस्व रिकार्ड के अनुसार दर्ज रिकार्ड खातेदार है तथा जमीन खसरा न. 2661 रकबा 0.50 हैक्टर, खसरा न. 2662 रकबा 0.50 हैक्टर व खसरा न. 2663 रकबा 0.81 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.81 हैक्टर जमीन झुंझुनू की सरहद मे स्थित है। जिसके खातेदार अनावेदक संख्या 9 लगायत 12 राजस्व रिकार्ड के अनुसार दर्ज खातेदार है। यह कि जमीन खसरा न. 2659 व 2660 के खातेदार आवेदकगण व अनावेकगण संख्या 1 लगायत 8 व 13 लगायत 16 है। उसी अनुसार उक्त जमीन पर वर्षो पहले से आबाद है। आवेदकगण व अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 8 व 13 लगायत 16 की जमीन खसरा न. 2659, 2660 कुल रकबा 2.53 हैक्टर जो भौतिक रूप से खसरा न. 2561 आम सड़क से सटकर पश्चिम दिशा मे है। जिस पर आवेदकगण व अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 8 व 13 लगायत 16 का कब्जा काश्त है। परन्तु वर्तमान नक्शा सीट में खसरा न. 2659 व 2660 को खसरा न. 2661, 2662 व 2663 के स्थान पर दर्शाया गया है। जबकि 2661 रकबा 0.50 हैक्टर, खसरा न. 2662 रकबा 0.50 हैक्टर व खसरा न. 2663 रकबा 0.81 हैक्टर पर अनावेदक संख्या 9 लगायत 12 के नाम दर्ज रिकार्ड है व उनकी खातेदारी अधिकारो की जमीन रही है। दौराने पैमाईश राजस्व कर्मचारि व अधिकारियों ने खसरा न. 2659, 2660 व 2661, 2662, 2663 रेवेन्यू रिकार्ड खातेदारो काश्तकारों के नाम सही कायम कर दिये परन्तु नक्शा सीट में खातेदारो के वास्तविक भौतिक कब्जा के मुताबिक नक्शा सीट मे दर्ज नही की है। इस प्रकार दौराने पैमाईश नक्शा सीट बनाई वो भी आवेदकगण व अनावेदकगण	

के वास्तविक रूप से कब्जा काश्त के मुताबिक व खसरा नम्बरों की खातेदारी के मुताबिक नही बनाई। अतः प्रार्थना–पत्र आवेदकगण के साथ संलग्न नक्शे के मुताबिक वर्तमान नक्शा सीट को दुरूस्त किया जावें और वर्तमान नक्शा सीट में खसरा न. 2661, 2662 व 2663 कुल रकबा 1.81 हैक्टर के स्थान पर खसरा न. 2659 व 2660 कुल रकबा 2.63 हैक्टर दर्ज किया जावें। ताकि भौतिक(वास्तविक) कब्जा काश्त के आधार पर वर्तमान नक्शा सीट दुरूस्त की जाकर कायम किया जाने का निवेदन किया है। उक्तानुसार प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। अनावेदकगण 1, 2 व 3 लगायत 8 व 9 लगायत 12, 13, 14, 15 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र पेशकर प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे के मुताबिक वर्तमान नक्शा सीट को दुरूस्त करने पर कोई आपति नही होना स्वीकार किया है। अनावेदक संख्या 17 पैराकार सरकार ने अपने पत्र कमांक राजस्व / 2018 / 2446 दिनांक 24.08.2018 के द्वारा पेश किया है कि झुंझुनू के खसरा न. 2659 से 2663 का मौका देखा गया। मौके पर खसरा न. 2659 व 2660 के खातेदारो का कब्जा काश्त खसरा न. 2661, 2662 व 2663 में है तथा खसरा न. 2661, 2662, 2663 के खातेदारो का कब्जा काश्त खसरा न. 2659 व 2660 मे है। खसरा न. 2659 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा न. 2660 रकबा 2.52 हैक्टर के बजाय खसरा न. 2659 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा न. 2660 का रकबा 1.80 हैक्टर तथा खातेदारी अनावेदकगण संख्या 9 लगायत 12 के नाम दर्ज किया जाना उचित है। खसरा न. 2661 रकबा 0. 50 हैक्टर, खसरा न. 2662 रकबा 0.50 हैक्टर, खसरा न. 2663 रकबा 0.80 हैक्टर के बजाय खसरा न. 2661 का रकबा 0.66 हैक्टर, खसरा न. 2662 का रकबा 0.82 हैक्टर व 2663 का रकबा 1.05 हैक्टर व खातेदारी आवेदकगण व अनावेदकगण 1 लगायत 8 व 13 लगायत 16 के नाम किया जाना उचित है। हमने प्रार्थना–पत्र मे वर्णित तथ्यों व जवाब अनावेदकगण व जांच रिपोर्ट तहसीलदार मे वर्णित तथ्यो का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध समस्त राजस्व

रिकार्ड पर गौर किया गया। जिससे उक्त राजस्व रिकार्ड की दौराने पैमाईश सेटलमेन्ट मे अशुद्धियां होना जाहिर है। ऐसी स्थिति मे आवेदकगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर आवेदकगण का यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट स्वीकार किया जाकर कस्बा झुंझुनू मे स्थित कृषि भूमि खसरा न. 2659 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा न. 2660 रकबा 2.52 हैक्टर के बजाय खसरा न. 2659 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा न. 2660 का रकबा 1.80 हैक्टर तथा खातेदारी अनावेदकगण 9 लगायत 12 के नाम दर्ज करने व खसरा न. 2661 रकबा 0.50 हैक्टर, खसरा न. 2662 रकबा 0.50 हैक्टर, खसरा न. 2663 रकबा 0.81 हैक्टर के बजाय खसरा न. 2661 रकबा 0.66 हैक्टर, खसरा न. 2662 रकबा 0.82 हैक्टर व खसरा न. 2663 रकबा 1.05 हैक्टर की खातेदारी आवेदकगण व अनावेदकगण 1 लगायत 8 व 13 लगायत 16 के नाम प्रार्थना–पत्र के संलग्न नजरी नक्शे के मुताबिक वर्तमान नक्शा सीट मुताबिक कब्जा काश्त के अनुसार दुरूस्त कर दर्ज रिकार्ड करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार झुंझुनू को आदेशित किया जाता है कि व उक्त घोषणानुसार गलत राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कर अमल दरामद कर पालना करें। फर्द अहकाम दस्ती पालनार्थ हेतु तहसीलदार झुंझुनू को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
झुंझुनू